संख्या-10/2021/70/सैंतीस-2-2021-1(44)/2017

प्रेषक,

मंजू लता,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/प्रक्षेत्र प्रबन्धक,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनाँक-25 जनवरी, 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में भेड़ प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण (जि.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-76/प0-1/9ख/भेड़ प्रजनन सुविधा/1/2020-21, दिनांक-07.01.2021 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-61/2020/1863/सैंतीस-2-2020-1(44)/2017, दिनाँक-09.09.2020 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-104-भेड़ तथा ऊन विकास-03-भेड़ प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण (जि.यो.) के अन्तर्गत निम्नलिखित मानक मदों में अवशेष धनराशि रू0-87.50 लाख (रूपये सत्तासी लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न जनपदवार विवरणानुसार अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
02-मजदूरी	50.00
39-औषधि तथा रसायन	7.50
40-औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	4.50
42-अन्य व्यय	7.50
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	18.00
योग-	**87.50**

(रूपये सत्तासी लाख पचास हजार मात्र)

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं निर्धारित मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर इसका व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
4. योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 एवं शासन द्वारा निर्धारित विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. सुसंगत वित्तीय नियमों के आलोक में आगणन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने एवं सक्षम स्तर से कार्यदायी संस्था निर्धारित कराने के उपरान्त ही अनुरक्षण हेतु स्वीकृत धनराशि का आहरण किया जायेगा।
6. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-24.03.2020, 07.04.2020, 11.04.2020, 18.05.2020 व शासनादेश दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-104-भेड़ तथा ऊन विकास-03-भेड़ प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण (जि.यो.) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-71/दस-2021, दिनांक-21.01.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीया,

(मंजू लता)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-10/2021/70(1)/सैंतीस-2-2021- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 ।
4. उप निदेशक (प्रक्षेत्र), महानगर, लखनऊ।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-10/2021/70/सैंतीस-2-2021-1(44)/2017, दिनाँक-25 जनवरी, 2021 का संलग्नक:-

भेड़ प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण (जि.यो.) **वित्तीय वर्ष 2020-21**

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	मानक मद					योग
		29-अनुरक्षण	39-औषधि तथा रसायन	40-औषधालय संबंधी आवश्यक सज्जा	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आगरा	0.00	0.20	0.50	0.25	0.50	1.45
2	मथुरा	3.00	0.20	0.20	0.50	0.70	4.60
3	मैनपुरी	1.00	0.20	0.20	0.30	0.70	2.40
4	मऊ	0.00	0.30	0.30	0.20	0.40	1.20
5	मुख्य तकनीकी अधिकारी (भेड़ एवं ऊन) वाराणसी	3.00	0.50	0.20	0.40	1.00	5.10
6	चन्दौली	5.00	0.20	0.50	0.25	0.50	6.45
7	परियोजना निदेशक, वृहद भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, भैंसोड़ा, नौगढ़, चन्दौली	15.00	0.00	0.00	0.00	3.60	18.60
8	मुख्य तकनीकी अधिकारी (भेड़ एवं ऊन) प्रयागराज	8.00	1.00	0.50	1.50	3.00	14.00
9	फतेहपुर	0.00	0.20	0.20	0.30	1.00	1.70
10	मुख्य तकनीकी अधिकारी (भेड़ एवं ऊन) कौशाम्बी	4.00	1.00	0.35	0.70	1.00	7.05
11	हरदोई	0.00	0.10	0.15	0.20	0.35	0.80
12	लखीमपुर खीरी	0.00	0.10	0.20	0.30	0.70	1.30
13	अयोध्या	0.00	0.50	0.00	0.30	0.50	1.30
14	कुशीनगर	0.00	0.20	0.20	0.30	0.70	1.40
15	चित्रकूट	1.00	0.20	0.20	0.30	0.65	2.35
16	प्रायोजना अधिकारी, सघन भेड़ एवं ऊन विकास, मिर्जापुर	0.00	0.70	0.30	0.50	1.00	2.50
17	मुख्य तकनीकी अधिकारी (भेड़ एवं ऊन), मिर्जापुर	7.00	0.90	0.25	0.70	1.00	9.85
18	मुख्य तकनीकी अधिकारी (भेड़ एवं ऊन), भदोही	3.00	1.00	0.25	0.50	0.70	5.45
योग-		**50.00**	**7.50**	**4.50**	**7.50**	**18.00**	**87.50**

(रूपये सत्तासी लाख पचास हजार मात्र)

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in